

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (I)
PART II—Section 3—Sub-section (I)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 138] नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 7, 1981/चैत्र 17, 1903

No. 138] NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 7, 1981/CHAITRA 17, 1903

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 अप्रैल, 1981

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

सा. ख. नि. 280 (अ).—केन्द्रीय सरकार केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944
के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत सर-
कार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 208/63-केन्द्रीय उत्पाद
शुल्क, तारीख 30 नवम्बर, 1963 का निम्नलिखित और संशोधन करती है,
अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना की मद (3) के पश्चात् निम्नलिखित मद अन्तः स्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

“(4) उक्त पहली अनुसूची की मद सं. 26 कक की उपमद (1क) के अन्तर्गत आने वाले अन्य लोहा और इस्पात उत्पाद जिन पर समुचित उत्पाद शुल्क का पहले से संवाय किया गया है।”

[सं. 103/80-के. उ. शू.-फ़. सं. 139/49/80-के. उ. शू. 4]

जे. आर. निभोरिया, अवसर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th April, 1981

CENTRAL EXCISES

G.S.R. 280(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 206/63-Central Excises, dated the 30th November, 1963, namely :—

In the said notification, after item (iii), the following item shall be inserted, namely :—

“(iv) other iron or steel products falling under sub-item (ia) of Item No. 26AA of the said First Schedule on which the appropriate duty of excise has already been paid.”.

[No. 103/81-C.E. F. No. 139/49/80-CX. 4]

J. R. NEBHORIA, Under Secy.